

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 444]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 9 अगस्त 2018—श्रावण 18, शक 1940

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, ओरेरा हिल्स, भोपाल—462011

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2018

अधिसूचना

क्र. एफ-65-एनएन-03-2018-पांच-590.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 47(3) के उपबंध तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम, 75 “झ” के अनुसरण में, एतदद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि नगर परिषद् करही पाडल्याखुर्द, जिला खरगोन के अध्यक्ष को पद से वापस बुलाये जाने के संबंध में सम्पन्न हुए निर्वाचन में दिनांक 7 अगस्त 2018 को घोषित परिणाम के अनुसार श्रीमती आशा प्रेमचंद वासुरे, अध्यक्ष, पद पूर्ववत् धारण करती रहेंगी।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2018

अधिसूचना

क्र. एफ-65-एनएन-03-2018-पांच-591.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 47(3) के उपबंध तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम, 5 “झ” के अनुसरण में, एतदद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि नगर परिषद् लांजी, जिला बालाघाट के अध्यक्ष को पद से वापस बुलाये जाने के संबंध में सम्पन्न हुए निर्वाचन में दिनांक 7 अगस्त 2018 को घोषित परिणाम के अनुसार श्रीमती मीरा नानाजी समरिते, अध्यक्ष, पद पूर्ववत् धारण करती रहेंगी।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।